छत्तीसगढ़ विधान सभा

(द्वितीय विधान सभा, चतुर्थ सत्र)

द्वितीय विधान सभा

दिनांक 23 नवंबर, 2004 से 03 दिसंबर, 2004 तक की कार्यवाही का

संक्षिप्त कार्य विवरण

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

मंगलवार, दिनांक 23 नवंबर, 2004

(अग्रहायण 02, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए.

1. राष्ट्रगीत

सदन में राष्ट्रगीत वंदेमातरम् संपन्न हुआ.

2. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने मध्यप्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य सर्वश्री कर्नल अजय नारायण मुशरान, बृजेन्द्र लाल गुप्ता, रेवती रमण मिश्र, जीवनलाल साहू एवं नगर माता श्रीमती बिन्नी बाई सोनकर के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किए.

माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा, माननीय श्री नोवेल कुमार वर्मा, माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल, माननीय श्री रामविचार नेताम, माननीय श्री रामचन्द्र सिंहदेव ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किए.

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं शोक सन्तप्त जन के लिए संवेदना प्रकट की गई.

दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 10.55 बजे से 5 मिनट के लिए स्थगित की गई, सदन की कार्यवाही 11.00 बजे पुनः प्रारंभ हुई.

माननीय अध्यक्ष (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए.

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न सूची के क्रमांक 1, 2 एवं 3 कुल 3 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

प्रश्नोत्तर सूची के नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 12 तारांकित प्रश्नों एवं 21 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

प्रश्नकाल की समाप्ति पर नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा के नेतृत्व में प्रतिपक्ष के सदस्यों ने कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति एवं सरकार की कार्यशैली के विरोध में खड़े होकर नारे लगाते हुए सरकार विरोधी पोस्टरों का प्रदर्शन कर व्यवधान उत्पन्न किया.

माननीय अध्यक्ष ने माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों से शांतिपूर्वक अपनी बात कहने का अनुरोध किया जिसे नहीं मानने पर माननीय अध्यक्ष ने 10 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी.

माननीय अध्यक्ष (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए.

सदन की कार्यवाही पुनः प्रारंभ होने पर माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा के नेतृत्व में प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा पुनः नारे लगाते तथा सरकार की कार्यशैली का विरोध करते हुए इस्तीफे की मांग करने एवं व्यवधान उत्पन्न करने पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी.

4. व्यवस्था

सभा की कार्यवाही के दौरान झंडे/पोस्टर का प्रदर्शन संसदीय नियमों एवं परंपराओं के विपरीत है. माननीय सदस्य कृपया ऐसा आचरण नहीं करे जो उनसे अपेक्षित नहीं है और सभा का सम्मान बनाए रखें.

लगातार व्यवधान के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही 11.58 बजे आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी.

माननीय अध्यक्ष (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए.

12.30 बजे सदन की कार्यवाही पुनः प्रारंभ होने पर माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा के नेतृत्व में प्रतिपक्ष के सदस्यों ने पुनः नारे लगाते हुए, सरकार के इस्तीफे की मांग की एवं व्यवधान उत्पन्न किया. माननीय अध्यक्ष की समझाईश नहीं मानने पर 12.36 बजे अध्यक्ष महोदय द्वारा दोपहर 2.30 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई.

(अपराह्न 12.36 बजे सदन की कार्यवाही 2.30 बजे तक के लिए स्थगित)

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए.

5. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 22 नवम्बर, 2004 को संपन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित कार्यों के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

वित्तीय कार्य	निर्धारित समय
वर्ष 2004-2005 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण.	3.00 घंटे

विधि विषयक कार्य

1.	छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2004	15 मिनट
2.	छत्तीसगढ़ अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2004	15 मिनट
3.	छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2004	15 मिनट
4.	छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2004	15 मिनट
5.	छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2004	45 मिनट
6.	छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2004	01 घंटा

शासकीय संकल्प

केन्द्रीय पूल से छत्तीसगढ़ राज्य को बिजली का हिस्सा कम किये जाने के संबंध में संकल्प. 01 घंटा 30 मिनट

समिति द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि बुधवार, दिनांक 24 नवंबर, 2004 से सभा की बैठकें, पूर्वाह्न 11.00 बजे से प्रारंभ होगा और साधारणतः 17.30 बजे समाप्त हो.

श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्यमंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा सरकार के इस्तीफे की मांग, नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा 2.34 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 24 नवंबर, 2004 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

बुधवार, दिनांक 24 नवंबर, 2004
(अग्रहायण 03, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से क्रमांक 3, 4, 5 में अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

2. बहिर्गमन

प्रश्न क्रमांक-05 की चर्चा के दौरान गृहमंत्री के कार्यकाल में प्रदेश में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि होने की बात कहते हुए नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा के नेतृत्व में प्रतिपक्ष के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया.

प्रश्नोत्तर सूची के क्रमांक 6, 7, 8, 9 एवं 10 में अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गए.

प्रश्न क्रमांक 10 की चर्चा के दौरान माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल के जवाब पर प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने एवं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने पर माननीय अध्यक्ष द्वारा निम्न व्यवस्था दी गई.

3. व्यवस्था

माननीय सदस्य अपना प्रश्न पूछते समय और उत्तर देते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमारे आचरण और कार्यों को पूरे प्रदेश की जनता देख रही है और किसी की भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ न हो.

4. बहिर्गमन

माननीय गृहमंत्री जी के जवाब के विरोध में नेता प्रतिपक्ष मान. श्री महेन्द्र कर्मा के नेतृत्व में प्रतिपक्ष के सदस्यों ने सदन की कार्यवाही से बहिर्गमन किया.

प्रश्न क्रमांक 12 एवं 13 कुल 10 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 03 तारांकित प्रश्नों एवं 23 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

5. स्थगन प्रस्ताव

प्रदेश में पुलिस हिरासत में मौत के संबंध में सर्वश्री रविन्द्र चौबे, डॉ. शक्राजीत नॉयक, नंदकुमार पटेल, नोवेल कुमार वर्मा, गणेश शंकर बाजपेयी, धर्मजीत सिंह एवं मोहम्मद अकबर सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं में से मान. श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य की सूचना तथ्यात्मक होने के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय ने पढ़ी.

मान. श्री रविन्द्र चौबे द्वारा एक ही स्थगन प्रस्ताव में कई विषय लेने की बात कहते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया.

6. व्यवस्था

माननीय श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के व्यवस्था के प्रश्न पर मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न व्यवस्था दी गई :-

पुलिस हिरासत में मौत के संबंध में ही आप सभी ने अलग-अलग सूचनाएं दी हैं. चूंकि सभी सूचनाएं पुलिस हिरासत में मौत के संबंध में है, इसलिए विषय एक ही है.

माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों के द्वारा लगातार नारेबाजी एवं व्यवधान के मध्य गृहमंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा शासन का उत्तर पढ़ा गया.

7. बहिष्कार

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा के नेतृत्व में मान. गृहमंत्री के जवाब के विरोध स्वरूप प्रतिपक्ष के सदस्यों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया. स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमति दी गई और अपराह्न 3.00 बजे से चर्चा कराने की घोषणा की.

8. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

1. डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (2) (क) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (क्रमांक-1 सन् 2004) पटल पर रखा.

2. श्री ननकीराम कंवर, सहकारिता मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (2) (क) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (क्र.-5 सन् 2004) पटल पर रखा.

9. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री ननकीराम कंवर, राजस्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक-7 सन् 2004) की धारा 16 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7-15/राजस्व 04, दिनांक 17 जून, 2004 पटल पर रखा.

10. मई-जून, 2004 सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष महोदय की घोषणानुसार मई-जून, 2004 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर पटल पर रखे गए.

11. नियम 267-क के अंतर्गत मई-जून, 2004 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

माननीय अध्यक्ष महोदय की घोषणानुसार नियम 267-क के अधीन मई-जून, 2004 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा गया.

12. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि प्रथम विधान सभा के सत्रों में पारित विधेयकों में से 03 विधेयकों तथा द्वितीय विधान सभा के विगत सत्रों में पारित 9 विधेयकों पर महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है.

अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण को पत्रक भाग दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है.

13. सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय ने विधान सभा नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नामनिर्दिष्ट किया :-

1. श्री अघन सिंह ठाकुर
2. श्री बद्रीधर दीवान
3. श्री विक्रम उसेंडी
4. श्री सत्यनारायण शर्मा
5. श्री गणेश शंकर बाजपेयी
6. श्री धर्मजीत सिंह

14. ध्यानाकर्षण

1. सर्वश्री रविन्द्र चौबे, नंदकुमार पटेल, उदय मुदलियार सदस्य रायपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में डकैती पड़ने व लूटपाट की वारदात होने संबंधी ध्यानाकर्षण सूचना प्रस्तुतकर्ता सदस्य के अनुपस्थित रहने से सदन में प्रस्तुत नहीं हुई.

2. सर्वश्री रविन्द्र चौबे, नंदकुमार पटेल, धर्मजीत सिंह सदस्य प्रदेश में धान खरीदी में अव्यवस्था होने संबंधी ध्यानाकर्षण सूचना प्रस्तुतकर्ता सदस्य के अनुपस्थित रहने से सदन में प्रस्तुत नहीं हुई.

15. शून्यकाल की सूचनाएं

1. श्री बद्रीधर दीवान, सदस्य ने लोक निर्माण विभाग के प्रीमिक्स कारपेट (डामरीकरण) के नवीनीकरण कार्यों में प्रोफाईल करेक्टिव कोर्स की शिकेनेस,

2. श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने विकासखंड डभरा जांजगीर-चांपा के ग्राम बीरापीर में जलाशय के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा न दिये जाने, संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी.

16. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय श्री राजेन्द्र पामभोई एवं मान. कु. कामदा जोल्हे सदस्य की याचिका प्रस्तुतकर्ता सदस्य के अनुपस्थित रहने से सदन में प्रस्तुत नहीं हुई.

17. शासकीय विधि विषयक कार्य

1. श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन से छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2004 के पुरःस्थापन की अनुमति चाही गई.

सदन द्वारा अनुमति प्रदान की गई.

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा 12.29 बजे सदन की कार्यवाही 3.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए.

पुलिस हिरासत में हुई मौत के संबंध में प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ हुई. स्थगन प्रस्ताव की चर्चा के दौरान मान. मुख्यमंत्री एवं मान. गृहमंत्री की अनुपस्थिति पर मान. श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया.

18. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि स्थगन प्रस्ताव की चर्चा के समय मान. मंत्रिगण उपस्थित रहा करें.

स्थगन प्रस्ताव पर मान. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, स्वास्थ्य मंत्री के भाषण देने पर पुनः माननीय श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया कि मान. मंत्रिगण स्थगन प्रस्ताव पर भाषण नहीं कर सकते.

माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि स्थगन प्रस्ताव की चर्चा में मान. मंत्रिगण चर्चा में भाग ले सकते हैं.

19. स्थगन प्रस्ताव

पुलिस हिरासत में मौत के संबंध में प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर निम्नलिखित मान. सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री नोवेल कुमार वर्मा, अघनसिंह ठाकुर, लालसाय खुंटे, लच्छुराम कश्यप, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, कु. कामदा जोल्हे, देवलाल दुग्गा, देवजी भाई पटेल, कु. लता उसेंडी, इंदर चौपड़ा, रामविचार नेताम.

माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल, गृहमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से गृहमंत्री का जवाब पूरा होने तक सदन के समय में वृद्धि करने की घोषणा की.

सायं 5.34 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 25 नवंबर, 2004 (अग्रहायण 4, 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

गुरुवार, दिनांक 25 नवंबर, 2004
(अग्रहायण 04, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न सूची के क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 कुल 09 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 08 तारांकित प्रश्नों एवं 27 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

प्रश्न काल की समाप्ति पर सर्वश्री रविन्द्र चौबे, भूपेश बघेल, सत्यनारायण शर्मा, धर्मजीत सिंह के साथ ही नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा ने शिक्षा कर्मियों पर लाठी चार्ज किए जाने के संबंध में प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की.

माननीय अध्यक्ष महोदय ने विचार कर निर्णय लेने का आश्वासन दिया.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

वित्त मंत्री श्री अमर अग्रवाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (2) के उपखंड (ख) की अपेक्षानुसार :-

(1) छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (क्र. 2 सन् 2004)

(2) छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (क्र. 3 सन् 2004)

(3) छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (क्र. 4 सन् 2004)

(4) छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (क्र. 6 सन् 2004)

पटल पर रखा.

3. बहिर्गमन

शिक्षा कर्मियों पर पुलिस कार्यवाही के संबंध में प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है ऐसा कहते हुए सरकार के रवैये के खिलाफ माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा के नेतृत्व में प्रतिपक्ष के सदस्यों ने बहिर्गमन किया.

शिक्षा कर्मियों के ऊपर पुलिस ज्यादती की बात कहते हुए मान श्री नोवेल कुमार वर्मा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य द्वारा बहिर्गमन किया गया.

शिक्षा कर्मियों के ऊपर पुलिस ज्यादती की बात कहते हुए बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने भी कु. [illegible] जोल्हे के नेतृत्व में बहिर्गमन किया.

4. ध्यानाकर्षण

1. सर्वश्री रविन्द्र चौबे, धर्मजीत सिंह, उदय मुदलियार, सदस्य ने प्रदेश में राहत कार्य प्रारंभ न होने से मजदूरों द्वारा पलायन किए जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

माननीय श्री ननकीराम कंवर, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

5. बहिर्गमन

माननीय श्री ननकीराम कंवर, राजस्व मंत्री द्वारा प्रदेश में राहत कार्य प्रारंभ न होने एवं मजदूरों के पलायन पर प्रस्तुत ध्यानाकर्षण के जवाब से असंतुष्ट होकर माननीय श्री सत्यनारायण शर्मा के नेतृत्व में प्रतिपक्ष के सदस्यों ने बहिर्गमन किया.

2. डॉ. बालमुकुन्द देवांगन, सदस्य ने शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर को निजी हाथों में सौंपे जाने के संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

माननीय डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

वक्तव्य में ध्यानाकर्षण सूचना में अग्राह्य करने के उल्लेख पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न व्यवस्था दी गई.

6. व्यवस्था

माननीय मंत्रीगण इस बात का ध्यान रखें कि ध्यानाकर्षण सूचना ग्राह्य होने के पश्चात् जवाब देते समय इस बात को ना पढ़ें कि यह अग्राह्य होने योग्य है. क्योंकि यह ग्राह्य होने के बाद ही यहां चर्चा में आया है. भविष्य में इस बात का ध्यान रखें.

7. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

1. श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने ग्राम सोंढ़ विकासखंड़ बेरला जिला-दुर्ग में 33 के. वी. के सब स्टेशन नहीं होने के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में,
2. डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य ने प्रदेश के विभिन्न वन अभ्यारण्य एवं वनों के जंगली सूअर, नील गाय आदि से फसल नुकसान का मुआवजा के संबंध में,
3. श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने जांजगीर चांपा के डभरा से चंद्रपुर मार्ग का कार्य पूर्ण न होने के संबंध में,
4. डॉ. चेतन वर्मा, सदस्य ने ग्राम पुरैना (भिलाई-3) में थर्मल पावर प्लांट की स्थापना से खेतों की सिंचाई न होने के संबंध में,
5. श्री लालसाय खुंटे, सदस्य ने छत्तीसगढ़ के निवासी को निवास प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के संबंध में, शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी.

8. संस्थाओं के लिए निर्वाचन

1. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की सभा (कोर्ट) के लिए 8 सदस्यों का निर्वाचन श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री, ने प्रस्ताव किया कि-

"यह सभा, उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 20 की उपधारा (1) के पद (अठारह) की अपेक्षानुसार गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की सभा (कोर्ट) के लिए अपने में से 08

सदस्यों के चयन के लिए अग्रसर हों."

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

2. पंडित रविशंकर शुल्क विश्वविद्यालय, रायपुर की सभा (कोर्ट) के लिए 8 सदस्यों का निर्वाचन.

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि :-

"यह सभा, उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 20 की उपधारा (1) के पद (अठारह) की अपेक्षानुसार पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की सभा (कोर्ट) के लिए अपने में से 08 सदस्यों के चयन के लिए अग्रसर हों."

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि :-

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर की सभा (कोर्ट) के निर्वाचन का कार्यक्रम निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम-निर्देशन पत्र विधान सभा सचिवालय में दिनांक 29-11-2004 को अपराह्न 3.00 बजे तक दिये जा सकेंगे.
2. नाम-निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा दिनांक 29-11-2004 को अपराह्न 4.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-1 में की जायेगी.
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना दिनांक 30-11-2004 को सायं 5.00 बजे तक सचिवालय में दी जा सकेगी.
4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, दिनांक 1-12-2004 को 12.00 बजे दिन से 3.00 बजे अपराह्न तक होगा.
5. निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा.

उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र की प्रतियाँ विधान सभा सचिवालय के सूचना कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं.

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

1. श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री द्वारा सदन से छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2004 पुरःस्थापित करने की अनुमति चाही गई.

सदन द्वारा अनुमति प्रदान की गई.

2. श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री द्वारा सदन से छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2004 पुरःस्थापित करने की अनुमति चाही गई.

सदन द्वारा अनुमति प्रदान की गई.

3. श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री द्वारा सदन से छत्तीसगढ़ आबकारी कर (संशोधन) विधेयक, 2004 के विचार की अनुमति चाही गई तथा संक्षिप्त भाषण दिया गया.

सर्वश्री रविन्द्र चौबे, देवजी भाई पटेल, भूपेश बघेल एवं राजेन्द्र पामभोई ने विधेयक के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड-2 विधेयक का अंग बना.

खण्ड-1 विधेयक का अंग बना

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र मूल विधेयक के अंग बने.

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2004, पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

10. नियम-139 के अंतर्गत अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के संबंध में सर्वश्री महेन्द्र कर्मा, रविन्द्र चौबे, धर्मजीत सिंह सदस्यों के द्वारा दी गई अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर नेता प्रतिपक्ष मान. श्री महेन्द्र कर्मा ने चर्चा प्रारंभ की.

अधिकारी दीर्घा में अधिकारियों की अनुपस्थिति की ओर आसंदी का ध्यान आकर्षित करते हुए मान. श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने आपत्ति की एवं व्यवस्था का प्रश्न उठाया.

सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए.

अधिकारी दीर्घा में अधिकारियों की अनुपस्थिति के संबंध में सर्वश्री भूपेश बघेल, उदय मुदलियार द्वारा भी व्यवस्था चाही गई, जिस पर माननीय सभापति महोदय ने निम्न व्यवस्था दी :-

11. व्यवस्था

अधिकारी दीर्घा के संबंध में सदन में चर्चा नहीं की जाती है. माननीय संसदीय कार्य मंत्री सदन में उपस्थित हैं, वे इसे देख लेंगे तथा उत्तर देंगे.

(सदन की कार्यवाही दोपहर 1.30 बजे से 3.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

(1.30 बजे से 3.00 बजे तक अंतराल)

सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेयी) पीठासीन हुए.

नेता प्रतिपक्ष मान. श्री महेन्द्र कर्मा ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के संबंध में जारी चर्चा पुनः प्रारंभ की.

निम्नलिखित माननीय सदस्यों सर्वश्री छतराम देवांगन, रविन्द्र चौबे, अघनसिंह ठाकुर, धर्मजीत सिंह, चंदुलाल साहू.

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए.

सर्वश्री ताम्रध्वज साहू, देवलाल दुग्गा, राजेन्द्र पामभोई, देवजी भाई पटेल, गणेश शंकर बाजपेयी.

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की अनुमति से नियम 139 पर चर्चा के पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की.

सर्वश्री इंदर चोपड़ा, डॉ. हरिदास भारद्वाज, डॉ. शक्राजीत नायक, उदय मुदलियार, कवासी लखमा ने भी चर्चा में भाग लिया.

माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल, गृहमंत्री के द्वारा चर्चा का उत्तर देने पर मान. श्री रविन्द्र चौबे ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा माननीय गृहमंत्री के जवाब का बहिष्कार का निर्णय लिया गया है, इसलिए मान. संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा चर्चा का उत्तर दिया जाए.

12. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि भारसाधक मंत्री अपना जवाब देते हैं उन्हें संवैधानिक अधिकार प्राप्त है इसलिए मान. गृहमंत्री उत्तर देंगे.

13. बहिष्कार

माननीय गृहमंत्री द्वारा उत्तर देने के विरोध स्वरूप मान. श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में प्रतिपक्ष के सदस्यों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया.

माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल, गृहमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

सायं 6.23 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 29 नवंबर, 2004 (अग्रहायण 8, 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

सोमवार, दिनांक 29 नवंबर, 2004
(अग्रहायण 08, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न क्रमांक 2, 4, 8, 9, 10 में अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये.

2. बहिर्गमन

प्रश्न क्रमांक 10 पर हुई चर्चा के दौरान माननीय श्री अजय चन्द्राकर संसदीय कार्य मंत्री के जवाब के प्रति विरोध स्वरूप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य माननीय श्री नोवेल कुमार वर्मा ने सदन से बहिर्गमन किया.

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल प्रश्न क्रमांक 11, 12, 14, 16 एवं 18 (कुल 10 प्रश्नों) में अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये.

प्रश्नोत्तर सूची में से नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 21 तारांकित प्रश्नों तथा 52 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक, सोमवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2004 को सम्पन्न हुई जिसमें निम्नानुसार शासकीय विधेयकों पर चर्चा के लिये उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है-

	विधि विषयक कार्य	निर्धारित समय
1.	छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम (संशोधन) विधेयक, 2004	45 मिनट
2.	छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2004	30 मिनट
3.	छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण विधेयक, 2004	45 मिनट
4.	छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग विधेयक, 2004	45 मिनट
5.	छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2004	15 मिनट
6.	छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक, 2004	45 मिनट
7.	छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2004	15 मिनट
8.	छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) विधेयक, 2004	15 मिनट
9.	छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2004	15 मिनट
10.	छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2004	15 मिनट

माननीय श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

4. स्थगन प्रस्ताव

बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चेर में पांच लोगों की हत्या किए जाने के संबंध में नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री महेन्द्र कर्मा द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव की सूचना माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पढ़ी गई.

संसदीय कार्य मंत्री, श्री अजय चन्द्राकर ने इस पर शासन का वक्तव्य पढ़ा.

सर्वश्री रामचन्द्र सिंहदेव, महेन्द्र कर्मा, रविन्द्र चौबे, डॉ. शक्राजीत नायक, सर्वश्री कवासी लखमा, भूपेश बघेल, राजेन्द्र पामभोई, नन्दकुमार पटेल, सियाराम कौशिक, गुलाब सिंह, उदय मुदलियार, सदस्यों द्वारा स्थगन की ग्राह्यता पर चर्चा में हिस्सा लिया.

माननीय श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने इस संबंध में शासन का जवाब दिया.

माननीय सदस्यों एवं शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई.

5. बहिर्गमन

शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री महेन्द्र कर्मा के नेतृत्व में प्रतिपक्ष के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया.

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य माननीय श्री नोवेल कुमार वर्मा द्वारा भी शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर बहिर्गमन किया गया.

6. ध्यानाकर्षण

1. सर्वश्री देवजी पटेल, चंदूलाल साहू, संजय ढ़ीढ़ी, सदस्य ने महिला एवं बाल विकास विभाग में सामग्री क्रय में अनियमितता किये जाने के संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

माननीय श्रीमती रेणुका सिंह, मंत्री, महिला एवं बाल विकास ने इस पर वक्तव्य दिया.

2. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने लोरमी पंडरिया मार्ग पर निर्माणाधीन सेतु में निम्न स्तर की सामग्री का उपयोग किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

माननीय श्री राजेश मूणत राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लोक निर्माण ने इस पर वक्तव्य दिया.

7. शून्यकाल की सूचनायें

1. डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य ने रायगढ़ जिले के महानदी के किनारे धरमकेला ब्लाक के सांकरा उद्वहन सिंचाई योजना एवं पुसौर ब्लाक के पड़ीगांव उद्वहन सिंचाई योजना के ऋणी किसानों,
2. श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य जांजगीर-चांपा जिलान्तर्गत मछलीपालन पट्टे की लीज राशि में छूट न दिये जाने,
3. श्री नन्दकुमार पटेल, सदस्य ने प्रदेश में राशन एवं मिट्टी तेल की अवैध बिक्री,
4. श्री छतराम देवांगन, सदस्य ने अकलतरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सड़कें अत्यंत जर्जर स्थिति में होने,
5. श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने भिलाई-रायपुर फोरलेन के निर्माण कार्य की धीमी गति होने से दुर्घटनाओं में वृद्धि,

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी.

8. वर्ष 2004-2005 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2004-2005 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया .

माननीय अध्यक्ष महोदय, द्वारा अनुपूरक पर चर्चा और मतदान के लिये दिनांक 30 नवम्बर, 2004 की तिथि निर्धारित की गई.

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

1. माननीय श्री ननकीराम कंवर, विधि मंत्री, द्वारा सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2004 का पुरःस्थापन किया गया.
2. माननीय श्री ननकीराम कंवर, सहकारिता मंत्री, द्वारा सदन की अनुमति से छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2004 का पुरःस्थापन किया गया.

10. व्यवस्था का प्रश्न

माननीय श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम एवं अध्यक्ष के स्थायी आदेश का हवाला देते हुये व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया कि प्रस्तुत संकल्प में प्रयुक्त शब्द अव्यावहारिक एवं अन्यायपूर्ण मानहानिकारक एवं व्यंगात्मक स्वरूप का है इसलिये इन शब्दों को पृथक किया जाए. जिस पर श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अन्यायपूर्ण या अव्यावहारिक मानहानिकारक नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में उल्लेख किया गया है कि पारित आदेश छत्तीसगढ़ राज्य के लिये अव्यावहारिक एवं अन्यायपूर्ण है.

11. व्यवस्था

माननीय श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि अव्यावहारिक एवं अन्यायपूर्ण ऐसा कहना व्यंग्यात्मक या मानहानिकारक नहीं है. आपत्ति अमान्य की जाती है.

12. शासकीय संकल्प

माननीय श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :-

मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 75 (2) के अंतर्गत भारत सरकार विद्युत मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी, 2001 को जारी प्रावधिक आदेश के अनुसार पश्चिम क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के विद्युत संयंत्रों की कुल स्थापित क्षमता 6092 में से अविभाजित मध्यप्रदेश को आवंटित 1614 मेगावाट विद्युत में से 498 मेगावाट विद्युत छत्तीसगढ़ को एवं 1116 मेगावाट विद्युत मध्यप्रदेश को केन्द्रीय सेक्टर की बिजली को संबंधित राज्यों में आवंटित करने के लिये उपलब्ध सिद्धांतों के आधार पर आवंटित की गई थी.

दिनांक 3 नवम्बर, 2004 को भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने अपने अंतिम आदेश के द्वारा अविभाजित मध्यप्रदेश को आवंटित 1618 मेगावाट विद्युत में से 1408 मेगावाट विद्युत मध्यप्रदेश को एवं 210 मेगावाट विद्युत छत्तीसगढ़ को आवंटित की है, जो अव्यावहारिक व अन्यायपूर्ण है. मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में ऐसे अन्यायपूर्ण आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का भी कोई प्रावधान नहीं है.

केन्द्र सरकार का यह आदेश मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 75 (2) की भावनाओं के विपरीत एवं छत्तीसगढ़ राज्य के हितों के प्रति अन्यायपूर्ण है और इससे राज्य में कृषि एवं उद्योगों की प्रगति के ऊपर विपरीत असर पड़ेगा.

अतः यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि वह भारत सरकार विद्युत मंत्रालय द्वारा पारित अव्यावहारिक एवं अन्यायपूर्ण आदेश क्रमांक-3/53/2001-ओ. एम. दिनांक 3 नवंबर, 2004 को निरस्त करते हुये भारत सरकार के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 जनवरी, 2001 में उल्लेखित केन्द्रीय सेक्टर से छत्तीसगढ़ को आवंटित 498 मेगावाट बिजली की आपूर्ति तत्काल बहाल किये जाने के साथ ही पश्चिम क्षेत्र के अनावंटित कोटे एवं पूर्व क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के संयंत्रों से छत्तीसगढ़ को भी अतिरिक्त बिजली का आवंटन प्रदान करने हेतु तत्परतापूर्वक कार्यवाही करें.

13. बहिर्गमन

माननीय श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में प्रतिपक्ष के सदस्यों ने संकल्प में अव्यावहारिक एवं अन्यायपूर्ण शब्द के प्रयोग किये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया.

माननीय श्री महेन्द्र कर्मा, नेता प्रतिपक्ष द्वारा संकल्प पर चर्चा प्रारंभ करते हुये संकल्प में कुछ संशोधन प्रस्तुत करने पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने निम्न व्यवस्था दी.

14. व्यवस्था

नियम 123 (2) के अंतर्गत जिस दिन संकल्प सदन में चर्चा के लिये प्रस्तुत हो वो उसमें संशोधन उससे 3 दिन पूर्व आना चाहिए.

(1.30 बजे से 3.00 बजे तक अंतराल)

माननीय सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुये.

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया एवं प्रस्तुत संकल्प पर अपने विचार व्यक्त किये नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री महेन्द्र कर्मा, सर्वश्री बालमुकुन्द देवांगन, नोवेल कुमार वर्मा, छतराम देवांगन, डॉ. सुभाऊ कश्यप, डॉ. शक्राजीत नायक

माननीय सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुये.

सर्वश्री भूपेश बघेल, त्रिलोचन पटेल, धर्मजीत सिंह, लच्छूराम कश्यप, डॉ. हरिदास भारद्वाज.

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुये.

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री द्वारा चर्चा का उत्तर दिया गया.

अन्यायपूर्ण और अव्यवहारिक शब्द विलोपित करते हुये तथा संशोधित निम्नानुसार संकल्प सर्वानुमति से स्वीकृत.

यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करता है कि वह भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय द्वारा पारित आदेश क्रमांक-3/53/2001, ओ. एम. दिनांक 3 नवम्बर, 2004 को निरस्त करते हुये भारत सरकार के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 जनवरी, 200 में उल्लेखित केन्द्रीय सेक्टर से छत्तीसगढ़ को आवंटित 498 मेगावाट बिजली की आपूर्ति तत्काल बहाल किये जाने के साथ ही पश्चिम क्षे अनावंटित कोटे एवं पूर्व क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के संयंत्रों से छत्तीसगढ़ को भी बिजली का आवंटन प्रदान करने हेतु त पूर्वक कार्यवाही करे.

प्रतिपक्ष द्वारा सदन में माननीय गृहमंत्री के जवाब के बहिष्कार के निर्णय पर स्वस्थ संसदीय परम्पराओं के परिप्रेक्ष्य में पुनः विचार करने की माननीय श्री अजय चन्द्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने अपील की. माननीय श्री धर्मजीत सिंह सदस्य द्वारा संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव

का समर्थन किया गया. स्वस्थ संसदीय परम्पराओं के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुये नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री महेन्द्र कर्मा, द्वारा गृहमंत्री माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा सदन में दिये जाने वाले जवाब के बहिष्कार संबंधी प्रतिपक्ष के निर्णय को वापस लेने की सदन में घोषणा की गई.

गृहमंत्री माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल ने सदन के प्रति आभार व्यक्त किया.

15. अध्यक्षीय उद्‌गार

छत्तीसगढ़ विधान सभा में संसदीय परंपराओं और मर्यादाओं के पालन में आज का दिन एक ओर मील का पत्थर साबित होगा. जहां एक तरफ शासकीय संकल्पों के संबंध में प्रतिपक्ष की आपत्ति को शासन पक्ष ने सहृदयता से स्वीकार करके कुछ शब्दों को निकाल दिया और वहीं प्रतिपक्ष ने भी शासन के एक मंत्री की जो राजनीतिक बहिष्कार की उन्होंने घोषणा की थी उसको वापस लिया. निश्चित तौर पर संसदीय प्रजातंत्र में पक्ष और प्रतिपक्ष इन्हीं उच्च भावनाओं के अनुरूप जनहित में लगातार कार्य करते रहता है और हम इसलिये आज के दिन इस बात को उल्लेखित करते हैं कि छत्तीसगढ़ विधान सभा की यह संसदीय परम्परा उच्च कोटि की ओर आगे बढ़ेगी.

16. शासकीय विधि विषयक कार्य

1. श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद वाणिज्यिक कर मंत्री श्री अमर अग्रवाल द्वारा विधेयक के प्रावधानों के संबंध में संक्षिप्त उद्‌बोधन दिया गया.

सर्वश्री देवजी भाई पटेल, डॉ. हरिदास भारद्वाज, सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया एवं विधेयक के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2, 3 व 4 विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2004, पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

2. श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2004, पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद वाणिज्यिक कर मंत्री श्री अमर अग्रवाल द्वारा विधेयक के प्रावधानों के संबंध में संक्षिप्त उद्‌बोधन दिया गया.

सर्वश्री डॉ. हरिदास भारद्वाज, डॉ. सुभाऊ कश्यप, नोवेल कुमार वर्मा, एवं सत्यनारायण शर्मा सदस्य ने चर्चा में भाग लिया एवं विधेयक के संबध में अपने विचार व्यक्त किये.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 व 3 विधेयक के खण्ड बने.

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2004, पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

सायं 5.10 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 30 नवंबर, 2004 (अग्रहायण 9, 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

मंगलवार, दिनांक 30 नवंबर, 2004
(अग्रहायण 9, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न सूची के क्रमांक 1, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25 (कुल 16) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 29 तारांकित प्रश्नों एवं 50 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. विधेयकों के लिए समय का आवंटन

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 29 नवंबर, 2004 में संसदीय कार्य मंत्री जी ने निम्नांकित विधेयकों की जानकारी दी थी.

1. छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2004
2. छत्तीसगढ़ कुशाभाउ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय विधेयक, 2004
3. पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ विधेयक, 2004

उपरोक्त विधेयकों के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से निम्नानुसार समय का निर्धारण किया :-

1.	छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2004	1.00 घंटा
2.	छत्तीसगढ़ कुशाभाउ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय विधेयक, 2004	45 मिनट
3.	पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ विधेयक, 2004	45 मिनट

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन पटल पर रखा.

4. ध्यानाकर्षण

1. सर्वश्री रविन्द्र चौबे, उदय मुदलियार, सदस्य ने प्रदेश में सीमेंट की कीमतों में वृद्धि होने के संबंध में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

5. बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण में चर्चा के दौरान माननीय मंत्री के जवाब के पश्चात् प्रदेश में सीमेंट की बढ़ती कीमतों के वृद्धि को रोकने में विफल रहने के विरोध स्वरूप माननीय श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के नेतृत्व में प्रतिपक्ष के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया.

2. श्री देवलाल दुग्गा, सदस्य ने कांकेर वन वृत्त में विभागीय क्रय एवं गोदाम निर्माण कार्य में अनियमितता किए जाने की ओर वन मंत्री का ध्यानाकर्षित किया.

श्री गणेशराम भगत, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

6. शून्यकाल की सूचनाएं

1. श्री चंदूलाल साहू, सदस्य ने तिल्दा विकासखंड अंतर्गत अनेक गांवों में नहर निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा प्राप्त न होने,
2. डॉ. शक्रजीत नायक, सदस्य ने रायगढ़ जिले के तमनार ब्लाक के विभिन्न ग्रामों में पुलिस की मिलीभगत से कोयले का अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर कार्यवाही न होने,
3. श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने शहरी निर्धन बीमा योजनांतर्गत नगरपालिका जांजगीर-चांपा में पात्र व्यक्तियों को राशि प्राप्त न होने,
4. श्री छतराम देवांगन, सदस्य ने अकलतरा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत राहत कार्यों का भुगतान शीघ्र कराये जाने,
5. श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य ने रायगढ़ जिले के ग्राम मनुवापाली में वृक्षों की अवैध कटाई, संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी.

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

1. श्री छतराम देवांगन, सदस्य ने अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के :-

   a. विकासखंड बलौदा के मदनपुर एवं मंडवा के बीच चौतरिया नाले पर पुल निर्माण कराने,
   b. विकासखंड बलौदा के ग्राम हेड़सपुर के खोरखोरा पहाड़ के पास बांध निर्माण कराने तथा,
   c. ग्राम सेवई मूर्ति (कंजी) के बीच कंजी नाले पर पुल निर्माण कराने, के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत की.

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्होने निम्नलिखित विधेयकों की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए स्थायी आदेश क्रमांक 23 (2) तथा 24 को शिथिल कर इन्हें आज ही पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है :-

1. छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्र. 19 सन् 2004),
2. छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्र. 20 सन् 2004),
3. छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण विधेयक, 2004 (क्र. 21 सन् 2004),
4. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्र. 23 सन् 2004),
5. छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्र. 24 सन् 2004),
6. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्र. 25 सन् 2004),
7. छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्र. 26 सन् 2004), तथा
8. छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री, मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्र. 27 सन् 2004).

निम्नांकित विधेयक पुर:स्थापित करने हेतु सदन द्वारा अनुमति दी गई तथा विधेयक पुर:स्थापित किए गए :-

1. श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री द्वारा सदन से छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम (संशोधन) विधेयक, 2004 के पुर:स्थापन की अनुमति चाही गई.

2. श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री द्वारा सदन से छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2004 के पुर:स्थापन की अनुमति चाही गई.

3. श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री द्वारा सदन से छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण विधेयक, 2004 के पुर:स्थापन की अनुमति चाही गई.

4. श्री गणेश राम भगत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री द्वारा सदन से छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2004 के पुर:स्थापन की अनुमति चाही गई.

5. श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा सदन से छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक, 2004 के पुर:स्थापन की अनुमति चाही गई.

6 श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन से छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2004 के पुर:स्थापन की अनुमति चाही गई.

7. श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन से छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 के पुर:स्थापन की अनुमति चाही गई.

8. डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री द्वारा सदन से छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2004 के पुर:स्थापन की अनुमति चाही गई.

9. वर्ष 2004-2005 के प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी. परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती है और उस पर एक साथ चर्चा होती है इसलिए मान. वित्त मंत्री जी सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत करें.

सदन द्वारा सहमति दी गई.

माननीय श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या- 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 55, 56, 60, 64, 67, 68, 76, 79, 80, 81 एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर दो सौ इक्यानबे करोड़, सत्ताईस लाख, सड़सठ हजार, सात सौ छैसठ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाए.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

माननीय सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए.

माननीय श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की. चर्चा के दौरान मान. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया कि प्रथम अनुपूरक मांगों पर चर्चा हो रही है और वित्त सचिव अधिकारी दीर्घा में उपस्थित नहीं हैं. उन्हें उपस्थित रहना चाहिए.

10. व्यवस्था

माननीय सभापति महोदय ने व्यवस्था दी कि अधिकारी दीर्घा सदन का हिस्सा नहीं है इसलिए इस विषय पर चर्चा नहीं की जाती. मंत्री सदन में उत्तर देंगे.

माननीय श्री छतराम देवांगन, सदस्य का भाषण पूरा होने तक सदन के समय में वृद्धि की गई.

सदन द्वारा सहमति दी गई.

(1.34 बजे सदन की कार्यवाही 3.00 बजे तक के लिए स्थापित की गई)

सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए.

प्रस्तुत मांगों की चर्चा में निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भाग लिया सर्वश्री रविन्द्र चौबे, छतराम देवांगन, भूपेश बघेल, चंदूलाल

साहू, डॉ. शक्राजीत नायक, लच्छुराम कश्यप, ताम्रध्वज साहू, रामसेवक पैकरा, उदय मुदलियार, कमलभान सिंह, नोवेल कुमार वर्मा, गुलाब सिंह, डॉ. बालमुकुंद देवांगन, अमरजीत भगत.

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए.

डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्री धर्मजीत सिंह.

समय 5.30 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 2004-2005 के प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान एवं छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक पारित किए जाने तक सदन की सहमति से सदन के समय में वृद्धि की गई.

माननीय श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री द्वारा चर्चा का उत्तर दिया गया.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2004 पुर:स्थापित किया.

माननीय श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खंडश: विचार हुआ.

खंड 2, 3 व अनुसूची विधेयक के अंग बने.

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

माननीय श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2004 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

सायं 6.08 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 1 दिसंबर, 2004 (अग्रहायण 10, 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

बुधवार, दिनांक 01 दिसंबर, 2004
(अग्रहायण 10, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न सूची के क्रमांक 2, 5 में अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 5 पर चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी के उत्तर से असंतुष्ट होकर प्रतिपक्ष के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया.

प्रश्नोत्तर सूची के क्रमांक 6, 9, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 23 एवं 25 तथा द्वितीय चक्र में प्रश्न क्रमांक-7 सहित (कुल 13 प्रश्नों) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 41 तारांकित प्रश्नों एवं 40 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

प्रश्नकाल में माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति के संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय ने निम्न व्यवस्था दी :-

प्रश्नकाल बहुत ही महत्वपूर्ण काल है जिसके माध्यम से शासन की विधान सभा के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है. जो माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं, उनकी जानकारी संकलन करने और उत्तर देने में शासन की बहुत बड़ी धनराशि भी व्यय होती है. अत: जो माननीय सदस्य प्रश्न पूछने के पश्चात् सभा में उपस्थित नहीं होते हैं उसमें प्रश्न पूछने का उद्देश्य ही निरर्थक हो जाता है. आज प्रश्नकाल के प्रथम चक्र में 13 मान. सदस्य अनुपस्थित रहे. यह स्थिति ठीक नहीं है. मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे प्रश्न पूछने के पश्चात् निर्धारित तिथि पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने का कष्ट करें.

4. नियम 169 के अंतर्गत सदन को सूचना
(विशेषाधिकार भंग की सूचना)

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उन्होंने मान. सदस्य श्री देवजी भाई पटेल द्वारा टाईम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली समाचार-पत्र समूह के प्रकाशक श्री बलराज अरोरा, संपादक श्री अरिंदम सेनगुप्ता, स्थानीय संवाददाता श्री लव कुमार मिश्रा एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा के विरुद्ध टाईम्स ऑफ इंडिया (नई दिल्ली) के दिनांक 31 जुलाई, 2004 के अंक में प्रकाशित समाचार को आधार बनाकर प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 18 अगस्त, 2004, जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंप दी है.

5. ध्यानाकर्षण

1. सर्वश्री नंदकुमार पटेल, उदय मुदलियार, सदस्य ने सरगुजा तथा राजनांदगांव जिले के गांवों में मलेरिया से हुई मौत के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री का ध्यानाकर्षण किया.

माननीय श्री कृष्णमूर्ति बांधी, स्वास्थ्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

6. बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण चर्चा के दौरान शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर प्रतिपक्ष के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया.

7. ध्यानाकर्षण (क्रमशः)

2. श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम में फेर-बदल किए जाने के संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यानाकर्षित किया.

मान. श्री अजय चन्द्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

8. नियम 267 (क) की सूचनाएं

1. माननीय श्री लच्छुराम कश्यप, सदस्य ने दंतेवाड़ा जिले में प्रारंभ नवीन आश्रम शालाओं में भृत्यों की नियुक्ति पत्र न होने,
2. मान. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य ने महानदी जलाशय परियोजना की जलाशयों से सिंचाई हेतु किसानों को पानी नहीं दिये जाने,
3. डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य ने छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल में उत्तर पुस्तिकाओं के अंकों में हेरा फेरी,
4. माननीय श्री छतराम देवांगन, सदस्य ने अकलतरा-बलौदा मार्ग पर भारी वाहनों के चलने से सड़क जर्जर होने,
5. मान. श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिलान्तर्गत जनपद पंचायत नवागढ़ में मृतक शासकीय कर्मी के आश्रितों को सहायता न मिलने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी.

9. संस्थाओं का निर्वाचन

1. पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की सभा (कोर्ट) के लिए विधान सभा के 08 सदस्यों का निर्वाचन

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की सभा (कोर्ट) के लिए 8 सदस्यों के निर्वाचन के लिए नाम वापसी के पश्चात् आठ उम्मीदवार शेष रहे.

चूंकि उक्त विश्वविद्यालय की सभा (कोर्ट) के लिए 8 ही सदस्य निर्वाचित किए जाने हैं.

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित सदस्यों को उक्त विश्वविद्यालय की सभा (कोर्ट) के लिए निर्वाचित घोषित किया :-

1. सुश्री लता उसेंडी
2. श्री देवजी पटेल
3. श्री संजय ढ़ीढ़ी
4. डॉ. बालमुकुन्द देवांगन
5. श्री अघनसिंह ठाकुर
6. श्री सत्यनारायण शर्मा
7. श्री राजेन्द्र पामभोई
8. श्री भूपेश बघेल

2. गुरुघासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की सभा (कोर्ट) के लिए विधान सभा के 08 सदस्यों का निवार्चन

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की सभा (कोर्ट) के लिए 8 सदस्यों के निर्वाचन

के लिए नाम वापसी के पश्चात् आठ उम्मीदवार शेष रहे.

चूंकि उक्त विश्वविद्यालय की सभा (कोर्ट) के लिए 8 ही सदस्य निर्वाचित किए जाने हैं.

अत: माननीय अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित सदस्यों को उक्त विश्वविद्यालय की सभा (कोर्ट) के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया :-

1. श्री विजयनाथ सिंह
2. श्री छतराम देवांगन
3. श्री सिद्धनाथ
4. श्री बद्रीधर दीवान
5. श्री नोवेल कुमार वर्मा
6. श्री गुलाब सिंह
7. श्री चन्द्रभान बारमते
8. डॉ. शक्राजीत नायक

10. शासकीय विधि विषयक कार्य (पुर:स्थापित)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्होने निम्नलिखित विधेयकों की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए स्थायी आदेश क्र. 23 (2) तथा 24 को शिथिल कर इन्हें आज ही पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है :

1. छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधयेक, 2004 (क्र. 17 सन् 2004)
2. छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्र. 31 सन् 2004)
3. छत्तीसगढ़ कुशाभाउ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय विधेयक, 2004 (क्र. 28 सन् 2004)
4. छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ विधेयक, 2004 (क्र. 29 सन् 2004) तथा
5. पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ विधयेक, 2004 (क्र. 30 सन् 2004)

निम्नांकित विधेयक पुर:स्थापित करने हेतु सदन द्वारा अनुमति दी गई तथा विधेयक पुर:स्थापित किया गए :-

1. श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री, द्वारा छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2004 पुर:स्थापित किया.
2. डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2004 का पुर:स्थापन किया गया.
3. श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ कुशाभाउ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय विधेयक, 2004 पुर:स्थापित किया गया.
4. श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2004 पुर:स्थापित किया गया.
5. श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा सदन से पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ विधेयक, 2004 को पुर:स्थापित किया गया.

11. शासकीय विधि विषयक कार्य (पारित)

1. माननीय श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद माननीय श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री द्वारा विधेयक के प्रावधानों के संबंध में संक्षिप्त उद्बोधन दिया गया.

सर्वश्री डॉ. हरिदास भारद्वाज, इंदर चोपड़ा, भूपेश बघेल, छतराम देवांगन सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया.

सदन की सहमति से मान. श्री छतराम देवांगन सदस्य के भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की गई.

(1.33 बजे से 3.00 बजे तक अंतराल)

सभापति महोदय (श्री अघन सिंह ठाकुर) पीठासीन हुए.

श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

विधेयक पर खंडशः विचार हुआ.

माननीय श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खंड 10 में इस प्रकार संशोधन किया जाये :-

धारा 30 के परन्तुक के पश्चात् अंत:स्थापित होने वाले परन्तुक ''ऐसे विशेष सम्मिलित एक वर्ष में तीन से अधिक नहीं होंगे.'' के स्थान पर परंतु ''ऐसे विशेष सम्मिलन एक वर्ष में पांच से अधिक नहीं होंगे. स्थापित किया जाए.'' एवं संक्षिप्त भाषण दिया.

संशोधन अस्वीकृत हुआ.

खंड 10 विधेयक का अंग बना.

माननीय श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खंड-11 में इस प्रकार संशोधन किया जाए :-

''धारा 37 की उपधारा (2) में प्रस्तावित ''शब्द'' पंद्रह प्रतिशत सदस्यों से मिलकर बनेगी. इस हेतु पंद्रह प्रतिशत सदस्यों से मिलकर बनेगी. इस हेतु पंद्रह प्रतिशत अंक की गणना करते समय आधे से कम भाग को छोड़ दिया जावेगा और आधे या आधे से अधिक भाग को एक गिना जावेगा. के स्थान पर शब्द पच्चीस प्रतिशत सदस्यों से मिलकर बनेगी. इस हेतु पच्चीस प्रतिशत के अंक की गणना करते समय आधे से कम भाग को छोड़ दिया जावेगा और आधे या अधिक भाग को एक गिना जायेगा, स्थापित किया जाए.''

माननीय श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने मान. श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा प्रस्तावित संशोधन स्वीकार करते हुए पंद्रह प्रतिशत के स्थान पर बीस प्रतिशत करने का यथा संशोधित संशोधन प्रस्तावित किया एवं संक्षिप्त भाषण दिया.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि धारा 37 की उपधारा (2) में प्रस्तावित शब्द ''पंद्रह प्रतिशत सदस्यों से मिलकर बनेगी. इस हेतु पंद्रह प्रतिशत के अंक की गणना करते समय आधे से अधिक भाग को एक गिना जावेगा.'' के स्थान पर शब्द ''बीस प्रतिशत सदस्यों से मिलकर बनेगी. इस हेतु बीस प्रतिशत के अंक की गणना करते समय आधे से कम भाग को छोड़ दिया जावेगा और आधे या आधे से अधिक भाग को एक गिना जावेगा.'' स्थापित किया जाए.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

यथा संशोधित संशोधन सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ.

यथा संशोधित खंड 11 विधेयक का अंग बना.

खंड 2 से 9 एवं 12 से 19 विधेयक के अंग बने.

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यथा संशोधित छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

यथा संशोधित विधेयक पारित हुआ.

2. श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाए तथा विधेयक के प्रावधानों के संबंध में संक्षिप्त भाषण दिया.

डॉ. हरिदास भारद्वाज एवं श्री छतराम देवांगन सदस्य ने चर्चा में भाग लिया एवं विधेयक के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खंडशः विचार हुआ.

खंड 2 से 12 विधेयक के अंग बने.

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

3. श्री गणेश राम भगत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाए एवं विधेयक के प्रावधानों के संबंध में संक्षिप्त भाषण दिया.

डॉ. हरिदास भारद्वाज एवं श्री लच्छुराम कश्यप सदस्य ने चर्चा में भाग लिया एवं विधेयक के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खंडशः विचार हुआ.

खंड 2 से 6 विधेयक के अंग बने.

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक के अंग बने.

श्री गणेशराम भगत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक , 2004 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

4. श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाए, तथा विधेयक के प्रावधानों के संबंध में संक्षिप्त उदबोधन दिया.

सर्वश्री रविंद्र चौबे, लच्छुराम कश्यप, डॉ. हरिदास भारद्वाज, छतराम देवांगन, नोवेल कुमार वर्मा, एवं श्री देवजी भाई पटेल ने चर्चा में भाग लिया एवं विधेयक के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए.

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खंडशः विचार हुआ.

खंड 2 से 16 विधेयक के अंग बने.

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाए.

12. बहिर्गमन

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य माननीय श्री नोवेल कुमार वर्मा द्वारा शासन द्वारा उनकी बात नहीं सुनने के विरोध स्वरूप सदन से बहिर्गमन किया गया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

5. श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खंडशः विचार हुआ.

खंड 2 से 10 विधेयक के अंग बने.

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक के अंग बने.

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

6. श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) विधेयक 2004 पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खंडश: विचार हुआ.

खंड 2 व 3 विधेयक के अंग बने.

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

7. डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खंडश: विचार हुआ.

खंड 2 विधेयक का अंग बना.

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

सायं 5.20 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 02 दिसंबर, 2004 (अग्रहायण 11, 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

गुरुवार, दिनांक 02 दिसंबर, 2004
(अग्रहायण 11, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न क्रमांक 1, 4, 6, 7, 9, 11, 12 में अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

प्रश्न क्रमांक 12 की चर्चा के दौरान माननीय सदस्य श्री देवलाल दुग्गा ने व्यवस्था चाही कि माननीय वन मंत्री द्वारा विधान सभा में दिनांक 30-11-2004 को ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा के दौरान आश्वासन दिया गया था कि वन मंडलाधिकारी को हटाकर जांच की जायेगी, किन्तु फिर भी कार्यवाही लंबित है. मान. वन मंत्री ने इस पर आसंदी का ध्यान आकर्षित करते हुए की गई घोषणा में संशोधन की अनुमति चाही.

2. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि :- मैं तमाम माननीय मंत्रियों से इस बात की अपेक्षा करता हूं कि वे माननीय सदस्यों के प्रश्नों में माननीय मंत्रीगण जो सदन में उत्तर दें उसका क्रियान्वयन भी उसी तत्परता के साथ होना चाहिए, इस बात की आप सब लोगों से अपेक्षा है.

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल प्रश्न क्रमांक 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 25 (कुल-15) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 22 प्रश्नों तथा 37 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

1. डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम 2002 (क्र. 30 सन् 2002) की धारा 11 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक आयोग का प्रथम प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 तथा 2003-2004 पटल पर रखा.

2. डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 (क्र. 10 सन् 1994) की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 पटल पर रखा.

4. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री भरत साय, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया :-

प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 3 दिसंबर, 2004 को चर्चा के लिए आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए उनके समक्ष अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प क्र.	सदस्य का नाम	समय
1. (क्रमांक-2)	श्री रविन्द्र चौबे	50 मिनट
2. (क्रमांक-4)	श्री धर्मजीत सिंह	50 मिनट
3. (क्रमांक-6)	श्री बालमुकुंद देवांगन	50 मिनट

श्री भरत साय, सभापति ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

5. ध्यानाकर्षण

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल करके उन्होंने आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हो केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछें ताकि चारों ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर चर्चा शीघ्र पूर्ण हो सके.

इस संबंध में सदन की सहमति चाही गई.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

1. सर्वश्री देवजी पटेल, त्रिलोचन पटेल, डॉ. त्रिविक्रम भोई, सदस्य ने जिला-जांजगीर चांपा जनपद पंचायत बम्हनीडीह में विभिन्न ठेकों की राशि वसूल नहीं किए जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यानाकर्षित किया.

माननीय श्री अजय चंद्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

2. सर्वश्री रविन्द्र चौबे, सत्यनारायण शर्मा, उदय मुदलियार सदस्य ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षकों की भर्ती नहीं किए जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यानाकर्षित किया.

माननीय श्री अजय चंद्राकर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

ध्यानाकर्षण में चर्चा के दौरान माननीय श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने विधान सभा की प्रक्रिया के सामान्य नियम 251 (1) के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाया, जिसमें उल्लेख है कि किसी ऐसे तथ्य, विषय का निर्देशन नहीं करेगा जिस पर न्यायिक विनिश्चय लंबित हो.

अत: ध्यानाकर्षण की जो विषय वस्तु है उसमें यदि सरकार कुछ भी कहती है तो माननीय हाईकोर्ट से जो स्टे मिला है, इसमें जो निर्णय आने वाला है वह प्रभावित हो सकता है.

6. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने निम्न व्यवस्था दी :- नियम में स्पष्ट है कि बोलते समय कोई सदस्य किसी ऐसे तथ्य विषय का निर्देश नहीं करेगा, जिस पर न्यायिक विनिश्चय लंबित हो यह नियम बोलते समय का है.

माननीय सदस्य प्रश्न पूछते समय इस विषय वस्तु से बाहर न जाते हुए अपनी बात कहें.

3. डॉ. बालमुकुंद देवांगन, सदस्य ने जिला व तहसील दुर्ग में भूमि हस्तांतरण में अनियमितता किये जाने के संबंध में राजस्व मंत्री का ध्यानाकर्षित किया.

माननीय श्री ननकीराम कंवर, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए.

4. डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य ने प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों की बिगड़ती अर्थव्यवस्था के संबंध में सहकारिता मंत्री का ध्यानाकर्षित किया.

माननीय श्री ननकीराम कंवर, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

7. घोषणा

माननीय सभापति महोदय ने घोषणा की कि छत्तीसगढ़ की द्वितीय विधान सभा के शीतकालीन सत्र समापन की पूर्व संध्या पर छत्तीसगढ़ विधान सभा तथा संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आज दिनांक 02 दिसंबर, 2004 को संध्या 6.30 बजे से विधान सभा परिसर में श्री शेखर सेन, संगीत एवं नाट्य निर्देशक, मुंबई द्वारा एकल नाट्य प्रस्तुति विवेकानंद के मंचन का आयोजन किया जा रहा है माननीय सदस्यगण सादर आमंत्रित हैं, पत्रकारगण भी सादर आमंत्रित हैं.

8. नियम 267 ''क'' के अधीन सूचनाएं

नियम 267-क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 13 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज दिनांक 2-12-2004 को सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है.

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी मानी जायेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

1. डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य
2. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य
3. श्री योगेश्वर राज सिंह, सदस्य
4. डॉ. चेतन वर्मा, सदस्य
5. श्री छतराम देवांगन, सदस्य
6. श्री चन्द्रभान बारमते, सदस्य
7. श्री रजिन्दर पाल सिंह भाटिया, सदस्य
8. श्री संजय ढ़ीढ़ी, सदस्य
9. श्री लालसाय खुंटे, सदस्य
10. श्री लच्छूराम कश्यप, सदस्य
11. श्री देवजी पटेल, सदस्य
12. श्री त्रिलोचन पटेल, सदस्य
13. श्री देवव्रत सिंह, सदस्य

9. शासकीय विधि विषयक कार्य
(विधेयक पुर:स्थापित)

1. श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग विधेयक, 2004 (क्रमांक 22 सन् 2004) का पुर:स्थापन किया.

अनुमति प्रदान की गई.

10. शासकीय विधि विषयक कार्य
(विधेयक पारित)

1. श्री ननकीराम कंवर, विधि मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाए एवं विधेयक के प्रावधानों के संबंध में संक्षिप्त उद्‌बोधन दिया.

डॉ. सुभाउ कश्यप एवं श्री चंदूलाल साहू, सदस्य ने विधेयक के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधयेक पर खंडशः विचार हुआ.

खंड 2 व 3 विधेयक के अंग बने.

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना,

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री ननकीराम कंवर, विधि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

2. श्री ननकीराम कंवर, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाए एवं विधेयक के प्रावधानों के संबंध में संक्षिप्त भाषण दिया.

माननीय मोहम्मद अकबर, देवजी भाई पटेल, सदस्य ने विधेयक के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खंडशः विचार हुआ.

खंड 2 विधेयक का अंग बना.

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री ननकीराम कंवर, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक 2004 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

3. श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण विधेयक, 2004 पर विचार किया जाए.

सर्वश्री डॉ. हरिदास भारद्वाज, डॉ. सुभाउ कश्यप, गणेश शंकर बाजपेयी, देवजी भाई पटेल, कवासी लखमा, एवं रविन्द्र चौबे सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया एवं विधेयक के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खंडशः विचार हुआ.

खंड 2 से 21 व अनुसूची विधेयक के अंग बने.

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण विधेयक 2004 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(2.04 बजे सदन 3.00 बजे तक के लिए स्थगित)

माननीय अध्यक्ष महादेय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए.

4. श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधयेक, 2004 पर विचार किया जाए एवं विधेयक के प्रावधानों के संबंध में संक्षिप्त उद्‌बोधन दिया.

सर्वश्री रामचंद्र सिंहदेव, छतराम देवांगन, रामसेवक पैकरा, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया एवं विधेयक के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खंडशः विचार हुआ.

खंड 2 से 10 विधेयक के अंग बने.

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हआ.

5. डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाए एवं विधेयक के प्रावधानों के संबंध में संक्षिप्त भाषण दिया.

सर्वश्री डॉ. हरिदास भारद्वाज, देवलाल दुग्गा, रामचन्द्र सिंहदेव, चंदूलाल साहू, सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया एवं विधेयक के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खंडश: विचार हुआ.

माननीय डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने विधेयक पर चर्चा के दौरान सदस्यों के सुझावों को मान्य करते हुए विधेयक के खंड-2 में संशोधन की अनुमति मांगी.

अनुमति प्रदान की गई.

माननीय मुख्यमंत्री ने संशोधन प्रस्तावित किया :-

(1-क) विद्युत ऊर्जा का प्रत्येक केप्टिव उत्पादक उस ऊर्जा पर हो किसी मास के दौरान उसकी 100 किलोवाट क्षमता से अधिक केप्टिव पॉवर इकाई या डीजल या अन्य जनरेटर सेट के द्वारा किसी उपभोक्ता को बेची गई या प्रदाय की गई हो या स्वयं उसके द्वारा या उसके कर्मचारियों द्वारा उपभुक्त की गई हो, ऊर्जा विकास उपकर दस पैसा प्रति यूनिट की दर से राज्य सरकार को चुकायेगा :-

परंतु

(एक) भारत सरकार द्वारा उपभुक्त की जाने हेतु उस सरकार द्वारा,
(दो) किसी रेल कंपनी के जो भारत सरकार द्वारा प्रशासित की जाती हो

से निर्माण, अनुरक्षण या प्रचालन में उपभुक्त की जाने हेतु भारत सरकार या किसी रेल कंपनी द्वारा,

(तीन) राज्य सरकार द्वारा उपभुक्त की जाने हेतु उस सरकार द्वारा
(चार) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) के अधीन पंजीकृत किसी ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति द्वारा,
(पांच) स्थानीय निकायों द्वारा जिनमें वे नगरपालिका निकाय व पंचायतें भी सम्मिलित हैं जो ऐसी निकायों द्वारा अनुरक्षित किसी बाजार स्थान में सड़क बत्ती या बत्तियां या जल संकर्म या लोक समागन के किन्हीं अन्य स्थानों में उपभुक्त की जाने हेतु,

उपभुक्त की गई विद्युत ऊर्जा के संबंध में कोई उपकर देय नहीं होगा, परंतु यह और कि ऊर्जा विकास उपकर की रकम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अथवा शासन द्वारा अधिकृत संस्था द्वारा संग्रहित की जायेगी और इस प्रकार संग्रहित रकम राज्य सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी.

टीप:- ''केप्टिव पॉवर इकाई के निर्धारण के लिए विद्युत अधिनियम 2003 में दी गई परिभाषा लागू होगी.''

यथा संशोधित खंड 2 विधेयक का अंग बना.

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि यथा संशोधित छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

यथा संशोधित विधेयक पारित हुआ.

11. सदन की जांच समिति का गठन

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि दिनांक 27-11-2004 को लोकमान्य गृह निर्माण सहकारी संस्था रायपुर के पदाधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितता विषयक डॉ. शिवकुमार डहरिया के तारांकित प्रश्न संख्या-4 (क्र. 177) पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने समिति के पदाधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितता की जांच विधान सभा की समिति से कराने की मांग की थी जिस पर सहकारिता मंत्री श्री ननकीराम कंवर ने सहमति देते हुए सदन की जांच समिति बनाने हेतु अध्यक्ष को अधिकृत किया था.

उक्त संदर्भ में मैंने निम्नलिखित सदस्यों की जांच समिति गठित की है :-

1. श्री देवजी पटेल
2. सुश्री लता उसेण्डी
3. श्री मोहम्मद अकबर

माननीय अध्यक्ष महोदय ने श्री देवजी पटेल को समिति का सभापति नियुक्त किया और कहा कि समिति अपना प्रतिवेदन यथा संभव शीघ्र प्रस्तुत करेगी.

6. श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ कुशाभाउ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय विधेयक, 2004 पर विचार किया जाए एवं विधेयक के प्रावधानों के संबंध में संक्षिप्त भाषण दिया.

सर्वश्री डॉ. शक्राजीत नायक, छतराम देवांगन, भूपेश बघेल एवं डॉ. बालमुकुंद देवांगन सदस्य ने चर्चा में भाग लिया एवं विधेयक के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खंडशः विचार हुआ.

खंड 2 से 57 विधेयक के अंग बने.

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने.

7. श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2004 पर विचार किया जाए एवं विधेयक के प्रावधानों के संबंध में संक्षिप्त भाषण दिया.

सर्वश्री डॉ. शक्राजीत नायक एवं छतराम देवांगन, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया एवं विधेयक के संबंध में संक्षिप्त भाषण दिया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खंडशः विचार हुआ.

खंड 2 से 64 विधेयक के अंग बने.

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक 2004 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

8. श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ विधेयक, 2004 पर विचार किया जाए एवं विधेयक के प्रावधानों के संबंध में संक्षिप्त भाषण दिया.

माननीय सर्वश्री ताम्रध्वज साहू एवं लच्छुराम कश्यप, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया एवं विधेयक के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खंडशः विचार हुआ.

खंड 2 से 41 विधेयक के अंग बने.

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री अजय चंद्राकर, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि पं. सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ विधेयक, 2004 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

सायं 5.29 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 3 दिसंबर, 2004 (अग्रहायण 12, 1926) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

शुक्रवार, दिनांक 03 दिसंबर, 2004
(अग्रहायण 12, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए.

1. शपथ

कु. रोजलिन बैकमेन, नाम-निर्देशित सदस्य ने शपथ ली एवं सदस्यों की नामावली में अपने हस्ताक्षर कर सभा में अपना आसन ग्रहण किया.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न क्रमांक 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11 (कुल 10) प्रश्नों में अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए.

3. बहिर्गमन

प्रश्न क्रमांक 8 की चर्चा के दौरान शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर नेता प्रतिपक्ष मान. श्री महेन्द्र कर्मा के नेतृत्व में प्रतिपक्ष के सदस्यों ने सदन में बहिर्गमन किया.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 06 तारांकित प्रश्नों तथा 22 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

1. डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 के खंड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का तृतीय प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004 तथा जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्र. 69 सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अचानकमार, थाना कोटा जिला बिलासपुर की घटना के संबंध में न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन तथा प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन पटल पर रखा.

2. श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट, उत्तर प्रबंध मंडल की टिप्पणी एवं वार्षिक लेखा वर्ष 2002-2003 पटल पर रखा.

3. श्री अमर अग्रवाल, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त,
   1. विनियोग लेखे 2003-2004 (छत्तीसगढ़ सरकार),
   2. वित्त लेखे 2003-2004 (छत्तीसगढ़ सरकार),

4. छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 की धारा 80 की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-10/6/2004/वाक/पांच (71) दिनांक 23 सितंबर, 2004 एवं

5. धारा 16 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-10/6/2004/वाक/पांच (60) दिनांक 23 जुलाई, 2004 पटल पर रखा.

5. ध्यानाकर्षण

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में 22 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को ध्यान में रखते हुए सम्मिलित किया गया है. विधान सभा नियमावली के नियम 138(3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमशः प्रथम चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे. उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जायेगा. लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी. संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा.

इस संबंध में सदन की सहमति चाही गई.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

1. सर्वश्री महेन्द्र कर्मा, कवासी लखमा, धर्मजीत सिंह, सदस्य ने गोलापल्ली में शिक्षा कर्मियों एवं छात्र की गोली मार कर हत्या किये जाने के संबंध में गृह मंत्री का ध्यानाकर्षित किया.

माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

2. सर्वश्री रविन्द्र चौबे, नंद कुमार पटेल सदस्य ने प्रदेश में विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में मुख्यमंत्री का ध्यानाकर्षित किया.

माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने इस पर वक्तव्य दिया.

6. घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज विधान सभा में माननीय गृह मंत्री जी की ओर से आयोजित दोपहर भोज में समस्त मान. सदस्यगण एवं पत्रकारगण सादर आमंत्रित हैं.

7. अध्यक्षीय दीर्घा में विशिष्ट अतिथि की उपस्थिति की सूचना

अध्यक्षीय दीर्घा में बैठे मध्यप्रदेश विधान सभा के माननीय सदस्य सर्वश्री शिवराज शाह एवं हरेन्द्रजीत सिंह बब्बू का सदन द्वारा स्वागत किया गया.

8. ध्यानाकर्षण (क्रमशः)

3. सर्वश्री देवजी भाई पटेल, त्रिलोचन पटेल, सदस्य ने जिला रायपुर के औद्योगिक क्षेत्र स्थित जायसवाल निको लिमिटेड द्वारा प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन न किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यानाकर्षित किया.

श्री गणेश राम भगत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

4. सर्वश्री त्रिविक्रम भोई, देवजी पटेल, सदस्य ने बाल्को संयंत्र द्वारा शासकीय भूमि का अतिक्रमण एवं वृक्षों की अवैध कटाई किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यानाकर्षित किया.

माननीय श्री ननकीराम कंवर, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

निम्नलिखित सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई तथा उनके उत्तर पटल पर रखे गए.

1. सर्वश्री नंद कुमार पटेल, सदस्य की प्रदेश में नक्सली गतिविधियों में वृद्धि होने संबंधी सूचना तथा गृहमंत्री का वक्तव्य.

2. सर्वश्री नोवेल कुमार वर्मा, रविन्द्र चौबे, नंद कुमार पटेल सदस्य रायपुर जिला अंतर्गत ग्राम चौरेंगा में स्पंज आयरन संयंत्र लगाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा गृहमंत्री का वक्तव्य.

3. श्री रविन्द्र चौबे, डॉ. शक्राजीत नायक सदस्य तखतपुर थाना में पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति की मौत होने संबंधी सूचना तथा गृहमंत्री का वक्तव्य.

4. श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य जिला रायगढ़ तहसील धर्मजयगढ़ में हाथियों के आतंक से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा वनमंत्री का वक्तव्य.

5. श्री लालसाय खूंटे, सदस्य, थाना जैजेपुर जिला जांजगीर-चांपा में मेघचंद सतनामी के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किए जाने संबंधी सूचना तथा गृहमंत्री का वक्तव्य.

6. श्री उदय मुदलियार, डॉ. शिवकुमार डहरिया, सदस्य राजनांदगांव वन मंडल अंतर्गत चौकी वन परिक्षेत्र में सागौन की अवैध कटाई किए जाने संबंधी सूचना तथा वनमंत्री का वक्तव्य.

7. श्री रविन्द्र चौबे, श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य प्रदेश में वृष्टिछाया योजना का क्रियान्वयन धनराशि के अभाव में न हो पाने संबंधी सूचना तथा कृषि मंत्री का वक्तव्य.

8. श्री छतराम देवांगन, सदस्य, हसदेव बायीं तट नहर के पिचिंग कार्य में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

9. डॉ. शिवकुमार डहरिया, सदस्य, जिला रायपुर की ग्रामीण सेवा सहकारी समिति रोंहासी, पलारी, में नियमानुसार नियुक्ति किये जाने संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य.

10. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य, अभनपुर जिला रायपुर थाना अभनपुर अंतर्गत पुलिस द्वारा एक व्यक्ति के हत्यारों को न पकड़े जाने संबंधी सूचना तथा गृहमंत्री का वक्तव्य.

11. श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य रायगढ़ जिले में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चावल परिवहन में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत मंत्री का वक्तव्य.

12. श्री सत्यनारायण शर्मा, श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य महानदी मुख्य नहर के प्राक्कलन तथा निविदा में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

13. डॉ. शिवकुमार डहरिया, श्री देवजी पटेल, सदस्य प्रदेश में सिकल सेल बीमारी की रोकथाम हेतु सामग्री क्रय में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य.

14. श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य श्रम विभाग द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा सेवा के अस्पतालों के लिए दवाई खरीदी में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा श्रम मंत्री का वक्तव्य.

15. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य जिला बिलासपुर अंतर्गत एन.टी.पी.सी. सीपत में तैनात औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज व गोली चालन किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

16. डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य जिला जशपुर में सांसद पर हमला किये जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

17. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य तांदुला तथा महानदी मुख्य नहर के कार्यों हेतु बुलाई गई निविदा में नियमों का [illegible] उल्लंघन किए जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

18. डॉ. शक्राजीत नायक, श्री धर्मजीत सिंह, श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने प्रदेश में स्थापित उद्योगों द्वारा प्रदूषण निवारण यंत्र का उपयोग नहीं किये जाने संबंधी सूचना तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य.

9. नियम 267 ''क'' के अधीन सूचनाएं

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि नियम 267-क के अधीन लंबित सूचनाओं में से 11 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज दिनांक 3-12-2004 को सदन में लिये जाने की वे अनुज्ञा प्रदान करते हैं.

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा.

1. डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य
2. डॉ. चेतन वर्मा, सदस्य
3. श्री छतराम देवांगन, सदस्य
4. श्री लालसाय खुंटे, सदस्य
5. श्री लच्छुराम कश्यप, सदस्य
6. श्री देवव्रत सिंह, सदस्य
7. श्री महेन्द्र कर्मा
8. श्रीमती रमशीला साहू
9. कु. कामदा जोल्हे
10. डॉ. हरिदास भारद्वाज
11. श्री ताम्रध्वज साहू

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नलिखित याचिकाएं पढ़ी हुई मानी जायेगी.

1. श्री बैदूराम कश्यप, सदस्य की केशलूर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत
   (a) विकासखंड दरभा के ग्राम पखनार में पुलिस चौकी खोलने,
   (b) विकासखंड दरभा के ग्राम चिंगीतरई में हाईस्कूल खोलने,
   (c) विकासखंड तोकापाल, ग्राम सोसनपाल नाला में पुल निर्माण किये जाने तथा
   (d) विकासखंड जगदलपुर, ग्राम आडावाल से कुरूंदी सड़क पर डामरीकरण किये जाने.

2. श्री लच्छूराम कश्यप, सदस्य की चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत
   (a) लाहण्डीगुड़ा के ग्राम अलनार के मध्य परिपानी नाला में बांध सह स्टापडेम निर्माण किये जाने,
   (b) विकासखंड लोहण्डीगुड़ा के अंतर्गत आंजर के बड़े बाहार नाला पर पुलिया निर्माण किये जाने तथा
   (c) विकासखंड बास्तानार के अंतर्गत ग्राम वाहनपुर नाला पर पुलिया निर्माण कार्य किये जाने.

3. डॉ. बालमुकुन्द देवांगन, सदस्य की खेरथा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत
   (a) ग्राम फरदफोड़ में खरखरा नदी पर स्टापडेम निर्माण कार्य किये जाने,
   (b) ग्राम गुरेदा में तांदुला नदी पर स्टापडेम कम रपटा निर्माण किये जाने तथा
   (c) ग्राम देवरीद में खरखरा नदी पर पुल निर्माण किये जाने बाबत्.

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

1. श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग विधेयक, 2004 पर विचार किया जाए एवं विधेयक के प्रावधानों के संबंध में संक्षिप्त भाषण दिया. सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग विधेयक, 2004 (क्रमांक 22 सन् 2004) का पुरःस्थापन किया.

सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेई) पीठासीन हुए.

श्री लच्छुराम कश्यप, सदस्य ने विधेयक के संबंध में अपना भाषण प्रारंभ किया.

सर्वश्री रविन्द्र चौबे, देवजी पटेल, डॉ. हरिदास भारद्वाज, श्रीमती रमशीला साहू, श्री उदय मुदलियार ने चर्चा में भाग लिया एवं विधेयक के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए.

सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खंडशः विचार हुआ.

खंड 2 से 23 विधेयक के अंग बने.

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री ननकीराम कंवर, कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग विधेयक 2004 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(2.26 बजे सदन की कार्यवाही 3.00 बजे तक के लिए स्थगित)

सभापति महोदय (श्री गणेश शंकर बाजपेई) पीठासीन हुए.

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने पर सभापति महोदय द्वारा अशासकीय संकल्प पर चर्चा प्रारंभ कराने पर मान. श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य द्वारा आसंदी का ध्यान आकर्षित कराया गया कि पहले उनके द्वारा प्रस्तुत नियम 139 की चर्चा के प्रस्ताव पर विचार किया जाए.

मान. सभापति महोदय, ने व्यवस्था दी कि चूंकि सदन के समय में वृद्धि नहीं की गई है, इसलिए अशासकीय संकल्प पर चर्चा कराई जा रही है.

मान. श्री नोवेल कुमार वर्मा, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि कार्यसूची के अनुसार प्रथम अशासकीय संकल्प पर चर्चा न कराकर दूसरे अशासकीय संकल्प पर चर्चा क्यों कराई जा रही है. यह उचित नहीं है.

12. व्यवस्था

माननीय सभापति महोदय ने व्यवस्था दी कि कार्यसूची के पद के क्रम में आसंदी परिवर्तन कर सकती है.

13. बहिर्गमन

शासन नियम 139 पर चर्चा नहीं कराना चाहती उसके विरोध में मान. श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य के द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया.

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य मान. श्री नोवेल कुमार वर्मा द्वारा भी सदन से बहिर्गमन किया गया.

14. अशासकीय संकल्प

1. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि ''बिलासपुर से रायपुर तक सर्वसुविधा युक्त एवं सुरक्षित, सुगम यातायात हेतु एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया जाए एवं संक्षिप्त भाषण दिया.

सर्वश्री डॉ. सुभाउ कश्यप, रविन्द्र चौबे, इंदर चोपड़ा, देवजी पटेल, नोवेल कुमार वर्मा सदस्यों ने संकल्प के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए.

माननीय श्री राजेश मूणत राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग ने चर्चा का उत्तर दिया.

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय) पीठासीन हुए.

माननीय श्री राजेश मूणत, राज्यमंत्री लोक निर्माण ने माननीय सदस्य से प्रस्ताव को संशोधित कर फोरलेन एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण का संकल्प प्रस्तुत करने की अपेक्षा की.

माननीय श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने यथा संशोधित संकल्प प्रस्तुत किया कि फोरलेन एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण का संकल्प प्रस्तुत करने की अपेक्षा की.

माननीय श्री धर्मजीत सिंह सदस्य ने यथा संशोधित संकल्प प्रस्तुत किया कि फोरलेन एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण किया जाए.

सर्वसम्मति से यथा संशोधित संकल्प स्वीकृत हुआ.

2. श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि :-

''प्रदेश के किसानों को नलकूप में विद्युत कनेक्शन देते समय यदि ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने या अतिरिक्त नया ट्रांसफार्मर लगाने की आवश्यकता होती हो तो उस पर हुए व्यय की राशि किसानों से न ली जाकर शासन द्वारा वहन की जाए.'' एवं संक्षिप्त भाषण दिया.

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, इंदर चोपड़ा, डॉ. हरिदास भारद्वाज, देवजी पटेल, नंद कुमार पटेल, लच्छुराम कश्यप, नोवेल कुमार वर्मा सदस्यों ने संकल्प के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए.

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया एवं अनुरोध किया कि माननीय सदस्य संकल्प वापस लें.

माननीय श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने संकल्प वापस लिया.

सदन द्वारा स्वीकृति दी गई.

संकल्प वापस हुआ.

अध्यक्षीय दीर्घा में बैठे माननीय श्री पुन्नूलाल मोहले, संसद सदस्य लोक सभा का सदन द्वारा स्वागत किया गया.

3. डॉ. बालमुकुंद देवांगन, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि - राज्य शासन के जल संसाधन विभाग की अनुमति के बिना व्यावसायिक तथा वाणिज्यिक उपयोग हेतु नलकूप व हैंडपंप का खनन न किया जाए तथा उक्त प्रयोजनार्थ खनित नलकूप व हैंडपंप से जल शुल्क लिया जाए, एवं संक्षिप्त भाषण दिया.

सर्वश्री अघनसिंह ठाकुर, डॉ. हरिदास भारद्वाज, इंदर चोपड़ा, धर्मजीत सिंह, सदस्य ने संकल्प के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए.

माननीय श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा माननीय सदस्य से अनुरोध किया कि वे अपना संकल्प वापस लें.

डॉ. बालमुकुंद देवांगन, सदस्य ने संकल्प वापस लिया.

सदन द्वारा संकल्प वापस लेने की अनुमति दी गई.

संकल्प वापस हुआ.

15. नियम-167 के अंतर्गत अग्राह्य विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं की सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि :- छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-167 के अंतर्गत उन्होने उनके समक्ष विचाराधीन निम्नलिखित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं को अपने कक्ष में अग्राह्य कर दिया है :-

1. माननीय सदस्य डॉ. शक्राजीत नायक द्वारा श्री ठाकुर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जिला रायगढ़ के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 01 जून, 2004.

2. माननीय नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ विधान सभा एवं 18 अन्य सदस्यों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री मान. संसदीय कार्य मंत्री तथा अन्य मंत्रीगण के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 15 जून, 2004.

3. माननीय सदस्य श्री विजय अग्रवाल द्वारा माननीय नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा श्री महेन्द्र कर्मा के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना दिनांक 28 अगस्त, 2004.

16. नियम-239 के अंतर्गत सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उनके समक्ष निम्नांकित विशेषाधिकार भंग की सूचना विचाराधीन है -

1. माननीय सदस्य श्री अघन सिंह ठाकुर एवं श्री छतराम देवांगन द्वारा श्री जोस वर्गीस, पूर्व विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी हिदायतउल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) के विरुद्ध प्रस्तुत सूचना दिनांक 2 दिसंबर, 2004.

17. सत्र का समापन

सत्र समापन के अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय का उद्‌बोधन

छत्तीसगढ़ की द्वितीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र का आज अंतिम दिवस है. 23 नवंबर, 2004 से 03 दिसंबर, 2004 तक का आठ दिवसीय सत्र आज संपन्न होने जा रहा है. यह शीतकालीन सत्र सभी मायनों में सफल रहा है और इसकी सफलता का श्रेय सदन के नेता, मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा एवं समस्त माननीय सदस्यों को जाता है. जिन्होने जनभावनाओं के अनुरूप संसदीय परंपराओं को आत्मसात करते हुए सदन के निर्विघ्न संचालन में सहयोग दिया. मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा ने सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था ही प्रकट नहीं की वरन् उसे कार्य रूप में परिणित भी किया है. इसका एक उदाहरण है दिनांक 29 नवंबर, 2004 की सदन की कार्यवाही में शासन द्वारा लाये गये संकल्प में विपक्ष के आग्रह पर कुछ शब्दों का शासन द्वारा संशोधन स्वीकार करना और सर्वसम्मति से संकल्प का पारित होना व उसी दिन माननीय गृहमंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल के विपक्ष द्वारा बहिष्कार के निर्णय पर पुनर्विचार करना और नेता प्रतिपक्ष द्वारा माननीय गृह मंत्री की प्रशंसा करते हुए उनकी बातों को नहीं सुनने के निर्णय को वापस लेना. इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी माननीय सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य की दो करोड़ जनता के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं. छत्तीसगढ़ का वर्तमान और भविष्य का स्वरूप आपके कार्य एवं व्यवहार पर ही निर्भर है.

लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य सु-शासन है. मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र सिर्फ शासन पद्धति का एक प्रकार नहीं अपितु जीवन शैली है. विधायिका इनके क्रियान्वयन का माध्यम. आप सभी इस तथ्य से अवगत हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में सरकार की जवाबदेही है कि वो सदन में माननीय सदस्यों को समस्त वांछित जानकारी दें, क्योंकि शासन विधायिका के प्रति उत्तरदायी है. मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि माननीय मंत्रीगण अपने कार्यों की गुणवत्ता की अभिवृद्धि की दिशा में सतत् प्रयत्नशील रहे, यही कारण है कि इस सत्र में माननीय मंत्रियों ने अच्छी तैयारी के साथ अपनी भूमिका का कुशल निर्वाह किया, वांछित जानकारी प्रदान करने में कुशलता प्रदर्शित की. उनके कार्यों की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर परिमार्जन उनका अपने कार्यों के प्रति समर्पण का सूचक है.

लघु सत्र था और लघु सत्र में कार्यों का दबाव ज्यादा रहता है. हर सदस्य अपनी समस्याओं को रखने का आग्रह करता है. मुझे इस बात का संतोष है कि माननीय सदस्यों द्वारा विभिन्न माध्यम से उठाये गए प्रत्येक विषय पर सदस्यों की भावनाओं के अनुरूप सदन में सार्थक चर्चा हुई. जहां तक सदन में विपक्ष के माननीय सदस्यों के दायित्व का सवाल है तो मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने सशक्त, जागृत विपक्ष की भूमिका का गंभीरतापूर्वक सक्षमता से निर्वहन किया है. उन्होंने ऐसा कोई अवसर नहीं छोड़ा जब उन्होंने सरकार को नहीं घेरा हो. हर वो विषय जो छत्तीसगढ़ की सद्भावना, संकल्प, विकास से संबंध रखता है और जिस पर सदन में चर्चा आवश्यक रही हो उस हर विषय को सदन में उनके द्वारा रखा गया. प्रत्येक सम-सामयिक, अविलंबनीय लोक-महत्व के विषयों को माननीय विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में चर्चा हेतु रखा जाना ही उनके जागृत होने का प्रमाण है. चाहे प्रदेश में धान खरीदी का विषय हो या प्रदेश की कानून-व्यवस्था की चिंता हो, राज्य में पुलिस हिरासत में मौतों का विषय हो या फिर राज्य के विद्युत उत्पादन क्षमता और उसके वितरण से संबंधित विषय हो, प्रत्येक सम-सामयिक महत्व के विषय पर आवश्यक अपेक्षित चर्चा हुई है इसे मैं सदन की उपलब्धि समझता हूं और विपक्ष के माननीय सदस्यों को उनके इस प्रयास के लिए धन्यवाद देता हूं.

पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र की गाड़ी के दो पहिए हैं. लोकतंत्र को आगे ले जाने के लिए, उसे सुदृढ़ करने के लिए पक्ष-विपक्ष के मध्य एक सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है. मुझे इस बात की प्रसन्नता है और मैं इस पर गर्व भी करता हूं कि इस सदन में पक्ष-विपक्ष के मध्य श्रेष्ठ समन्वय विद्यमान है तथा आसंदी के प्रति सम्मान का भाव संचारित है.

आप सभी माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि सदन में उपलब्ध समय का और अधिकतम सदुपयोग किया जा सके, यह सुनिश्चित करने का हम प्रयास करें. पक्ष-विपक्ष की भूमिका के साथ न्याय करते हुए अपने राज्य और राष्ट्र के प्रति दायित्वों के प्रति भी गंभीर और सजग रहें. लोकतंत्र में यह आवश्यकता ही नहीं अनिवार्यता है कि जनप्रतिनिधि, जन-भावना, जन-कल्याण के प्रति सदैव समर्पित रहे. मुझे विश्वास है कि सदन में हुई चर्चाओं के निष्कर्ष का प्रभाव आने वाले समय में छत्तीसगढ़ राज्य के विकास में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होगा.

इस सत्र के आरंभ के पूर्व दिनांक 22 नवंबर, 2004 को भारतीय संसदीय संस्थान-जनसंख्या एवं विकास, नई-दिल्ली एवं विधान सभा सचिवालय द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला माननीय सदस्यों के लिए आयोजित की गई. इस कार्यशाला में जनसंख्या नियंत्रण, एड्स, महिला सशक्तीकरण जैसे ज्वलंत विषयों पर विस्तृत सारगर्भित चर्चा हुई. मैं समझता हूं इसका पूरा लाभ माननीय सदस्यों को मिला होगा.

इस सत्र में विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों के लगभग 250 छात्र/छात्राओं ने सदन की कार्यवाही को देखा और संसदीय परंपराओं और प्रक्रियाओं को समझा. लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, छात्र/छात्राओं को संसदीय परंपराओं और प्रक्रियाओं से जोड़ने का छत्तीसगढ़ विधान सभा का यह प्रयास सराहनीय तो है ही लोकतंत्र को पुष्ट करने में सहायक भी है.

इस सत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में यह वर्ष स्वामी विवेकानंद का रायपुर आगमन का 125वां वर्ष है, के परिप्रेक्ष्य में विधान सभा सचिवालय और संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 02 दिसंबर, 2004 को श्री शेखर सेन, निर्देशक संगीत एवं नाट्य, मुंबई द्वारा एकल नाट्य विवेकानंद मंचित किया गया, जो कि काफी सराहनीय रहा.

इस शीतकालीन सत्र में सदन के संपन्न कार्यों की संक्षिप्त जानकारी एवं कुछ उल्लेखनीय तथ्यों से मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा. इस सत्र के कुल 8 कार्य दिवसों में कुल 39 घण्टे 23 मिनट (5.30 बजे तक) चर्चा हुई. यद्यपि यह सत्र कुल 8 कार्य दिवसों का था किन्तु इस 8 कार्य दिवसों में 934 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई. इस प्रकार प्रतिदिन प्रश्नों का औसत 117 रहा, जो अब तक हुए सत्रों में सर्वाधिक है. यह इस बात को इंगित करता है कि न केवल मान. सदस्य अपनी जिम्मेदारियों के प्रति और शासन से जानकारी प्राप्त करने के अपने अधिकार के प्रति अधिक जागरूक हुए हैं अपितु शासन ने भी प्रश्नों के उत्तर तत्परता से दिए हैं. इस सत्र में ग्राह्य तारांकित प्रश्नों की संख्या 342 रही, जिनमें से 86 प्रश्नों पर चर्चा हुई. अर्थात् प्रश्नकाल का माननीय सदस्यों ने पूरा-पूरा लाभ उठाया.

जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेखित किया कि इस सत्र में अविलंबनीय लोक महत्व के प्रत्येक विषय पर विभिन्न माध्यमों के तहत सदन में चर्चा हुई. इस सत्र में नियम 139 के अंतर्गत चर्चा हेतु कुल 9 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से 1 सूचना पर चर्चा हुई. इस सत्र में 11 अशासकीय संकल्प प्राप्त हुए जिनमें से 3 अशासकीय संकल्प चर्चा के लिए सदन में रखे गये उनमें से 1 संकल्प स्वीकृत हुए व 2 संकल्प वापस लिए गए.

इस सत्र में एक शासकीय संकल्प भी लाया गया. शासकीय संकल्प में प्रतिपक्ष के सुझाव को स्वीकार कर संशोधित स्वरूप में संकल्प सर्वसम्मति से पारित कर उच्च संसदीय परंपराओं को सुदृढ़ किया.

आप माननीय सदस्यों ने तर्क की तुला से हर विषय को तौला और चर्चा को निष्कर्ष तक पहुंचाया. आपके इस कार्य से निश्चित ही प्रदेश की जनता के मध्य यह संदेश जायेगा कि उनके द्वारा चुने गये जन-प्रतिनिधि इस सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था में जन-भावना व जन-कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कृत-संकल्पित हैं. इस सत्र में कुल 105 स्थगन की सूचनाएं प्राप्त हुई. एक प्रस्ताव को ग्राह्य कर चर्चा हुई एवं एक स्थगन प्रस्ताव चर्चा उपरांत अग्राह्य किया गया. अग्राह्य प्रस्ताव की संख्या 48 रही. इस सत्र में शून्यकाल की 70 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से 54 सूचनायें ग्राह्य व 16 सूचनायें अग्राह्य रहीं. द्वितीय विधान सभा के इस चतुर्थ सत्र में कुल 261 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें 55 सूचनाएं ग्राह्य व 144 सूचनाएं अग्राह्य रही.

विधायी कार्यों की दृष्टि से यदि देखें तो 8 दिवसीय सत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा. इस सत्र में न केवल 21 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुई अपितु एक ही दिन में 3 विश्वविद्यालय विधेयक सभा में प्रस्तुत किए गए. विश्वविद्यालय विधेयकों का सभा के द्वारा पारित किया जाना छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक उल्लेखनीय कार्य है क्योंकि इन विश्वविद्यालयों की स्थापना से न केवल तकनीकी शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में राज्य की युवा पीढ़ी लाभान्वित होगी अपितु मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना से प्रदेश में शिक्षा का प्रचार-प्रसार ग्रामीण एवं आदिवासी अंचलों तक होगा और हमारे प्रदेश की बहुसंख्यक आदिवासी जनता लाभान्वित हो सकेगी.

इस सत्र में कुल 21 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुई, 20 विधेयक सभा द्वारा चर्चा उपरांत पारित हुए. विशेष उल्लेखनीय यह भी रहा कि शासन पक्ष ने माननीय सदस्यों के सुझावों को स्वीकार कर नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक और छत्तीसगढ़ उपकर संशोधन विधेयक में चर्चा के दौरान दिये सुझावों को स्वीकार कर संशोधनों को स्वीकार करना यह प्रतिपादित करता है कि पक्ष एवं प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ राज्य में जनता के कल्याण का प्रत्येक कार्य आपसी समन्वय से करने को तत्पर है. इस सत्र में ही कुल 5 प्रतिवेदन पटल पर रखे गये वहीं 20 याचिकाए भी सदन पटल पर रखी गई. इसके साथ वित्तीय कार्य के प्रथम अनुपूरक अनुदान के पुनर्स्थापन एवं पारण का कार्य भी निष्पादित हुआ.

आप सभी माननीय सदस्यों को मैं इस सत्र के पूर्ण होने पर धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने सदन के सुचारू संचालन में मुझे सहयोग दिया. इस सत्र के समापन अवसर पर प्रेस के लिए विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि उन्होंने अपने दायित्वों का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन किया है इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं. विधान सभा की संसदीय विषयों से जुड़ी गतिविधियों, सदन की चर्चाओं की बेहतर जानकारी देने का गुरूत्तरदायित्व का भार उन्होंने सफलतापूर्वक निभाया है. मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र के प्रभावी और सुचारू कार्यकरण के लिए नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के विकास और समृद्धि के लिए विधायिका और मीडिया के समन्वित संकल्प की आवश्यकता है. मैं आशा करता हूं हमारे पत्रकार साथी सभा के माध्यम से शासन के कार्यकलापों की जो जानकारी उन्हें प्राप्त होती है, उनका हूबहू सम्प्रेषण कर छत्तीसगढ़ की जनता को उनके सूचना प्राप्त करने के अधिकार में सहयोग करेंगे.

अन्त में इस सत्र समापन अवसर पर मैं पुनश्च माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सदन के संचालन में मुझे सहयोग दिया. में सदन के सभी माननीय सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं उन्होंने संसदीय मर्यादाओं की परिधि में रहकर अपने संसदीय दायित्व का निर्वहन कर सदन के संचालन में जो मुझे सहयोग दिया है वह उल्लेखनीय है. इस अवसर पर मैं सदन के सभापति के दायित्व का निर्वहन करने के लिए और मुझे सहयोग देने के लिए मैं इस सदन की सभापति तालिका के सदस्यों के प्रति धन्यवाद प्रेषित करता हूं.

आज अन्तिम दिन इस सदन में नाम-निर्दिष्ट सदस्य के रूप में कुमारी रोजलिन बैकमेन ने भी शपथ ली, मैं उन्हें बधाई देता हूं.

सत्र के पूर्णता के अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रदत्त दायित्वों का गंभीरता से परिपालन किया. इस अवसर पर मैं सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को पूरे सत्रकाल में कायम रखा. इस सत्र के समापन अवसर पर मैं अपने विधान सभा सचिवालय के सचिव श्री देवेन्द्र वर्मा, जिनका सचिव के रूप में यह पहला सत्र था, उन्हें बधाई देता हूं, मैं सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं कि उनके समन्वित सहयोग से ही इस सत्र का सुचारू संचालन संभव हो सका.

सत्र के समापन अवसर पर आगामी सत्र की सम्भावित तिथियों की जानकारी देने की परंपरा रही है. आगामी सत्र दिनांक 21 फरवरी से 25 मार्च, 2005 के मध्य होने की संभावना है.

इस अवसर पर मैं आव्हान करता हूं कि आईये छत्तीसगढ़ राज्य के विकास और समृद्धि के पावन अनुष्ठान में हम अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर लोकतंत्र के इस पावन मंदिर की प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण रखने का दृढ़ संकल्प लें.

धन्यवाद.

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा, सदस्य श्री नोवेल कुमार वर्मा ने भी इस अवसर पर उद्‌गार प्रकट किए.

सदन में ''जन-गण-मन'' की धुन बजाई गई.

माननीय अध्यक्ष ने सत्र समापन करने की घोषण की इसके पश्चात् 5.44 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.